ग्रामीण उद्यमिता: स्थानीय संसाधनों से समृद्धि की ओर

विकसित भारत@2047 के संकल्प में गाँव केवल विकास के लाभ पाने वाले क्षेत्र नहीं बल्कि विकास के सक्रिय केंद्र हैं। कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, हस्तशिल्प, पारम्परिक कौशल और स्थानीय संसाधनों में छिपी संभावनाओं को मूल्यवर्धन, उद्यमिता और बाज़ार से जोड़कर आय और रोज़गार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। मज़बूत ग्रामीण उद्यम न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देंगे बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ऐसी आधारशिला तैयार करेंगे, जिसमें स्थानीय क्षमता से स्थानीय समृद्धि और स्थानीय समृद्धि से राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

भारत की विकसित भारत की यात्रा केवल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विकास के लाभ देश के हर क्षेत्र तक पहुँचें और लोगों को अपने आसपास ही सार्थक अवसर मिल सकें। ग्रामीण भारत के पास कृषि, पशुधन, मत्स्यपालन, वानिकी, पारम्परिक कौशल, हस्तशिल्प और स्थानीय संसाधनों के रूप में अपार संभावनाएँ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इनको मजबूत उद्यमों, बेहतर उत्पादों, व्यापक बाजारों और स्थानीय रोज़गार में बदला जाए।

लक्ष्य गाँवों में बड़े-बड़े कारखाने लगाना नहीं है। लक्ष्य ऐसी सशक्त स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना है, जहाँ किसान, महिलाएँ, युवा, कारीगर और छोटे उद्यमी अपने स्थानीय संसाधनों से अधिक मूल्य पैदा कर सकें। जब स्थानीय संसाधनों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और विपणन स्थानीय स्तर पर होता है तो सृजित मूल्य का अधिक हिस्सा स्थानीय उत्पादकों के पास रह सकता है।

स्थानीय संसाधनों से स्थानीय समृद्धि

भारत के गाँवों में अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। कृषि के साथ पशुधन, मत्स्यपालन, बागवानी और अन्य संबद्ध गतिविधियाँ जुड़ी हैं। पारम्परिक शिल्प, हथकरघा, बाँस,

कुरुक्षेत्र सम्पादकीय डेस्क

शहद, वनोपज, खाद्य उत्पाद और अनेक स्थानीय कौशल एवं संसाधन भी आजीविका और उद्यम के अवसर प्रदान करते हैं।

लेकिन अच्छा उत्पाद तैयार करना केवल पहला कदम है। किसान अच्छी फसल पैदा कर सकता है, लेकिन उसकी सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बेहतर विपणन के माध्यम से उसमें अतिरिक्त मूल्य जोड़ा जा सकता है। इसी तरह, किसी कारीगर के पास उत्कृष्ट पारम्परिक कौशल हो सकता है, लेकिन बेहतर डिज़ाइन, औजार, गुणवत्ता मानक और बड़े बाज़ारों तक पहुँच उसके उत्पाद का मूल्य बढ़ा सकती है।

इसलिए मूल विचार बहुत सरल है:

स्थानीय संसाधन → मूल्यवर्धन उद्यम → बाज़ार → आय और रोज़गार

यह दृष्टिकोण ग्रामीण समुदायों को केवल वस्तुओं के उत्पादन से आगे बढ़कर अधिक मूल्य वाले उत्पादों और सेवाओं के निर्माण, सुधार और विपणन की दिशा में ले जा सकता है।

मज़बूत ग्रामीण उद्यमों का निर्माण

ग्रामीण उद्यमों का बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। अनेक उद्यम किसी व्यक्ति, परिवार, स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्था या कारीगरों के समूह से छोटे स्तर पर शुरू हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इन उद्यमों को आगे बढ़ने का अवसर मिले।

एक ग्रामीण उद्यमी को अलग-अलग चरणों में अलग-अलग प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो सकती है—कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण, उपकरण खरीदने के लिए वित्त, लागत कम करने के लिए साझा सुविधाएँ, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में सहायता तथा बाज़ार तक पहुँच।

सरकार की विभिन्न योजनाएँ इन आवश्यकताओं के अनेक पहलुओं को पूरा करती हैं। अब अवसर यह है कि इन पहलों को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ा जाए ताकि ग्रामीण उद्यमी को अलग-अलग सहायता प्रणालियों के बीच भटकना न पड़े। एक सरल मार्ग इस प्रकार हो सकता है:

पहचान → संगठन → मूल्यवर्धन → उद्यम निर्माण → बाज़ार तक पहुँच → सतत विकास

पहचान- हर ज़िले और प्रखंड की अपनी आर्थिक ताकत होती है। यह किसी विशेष फसल, खाद्य उत्पाद, शिल्प, वस्त्र, प्राकृतिक संसाधन या स्थानीय कौशल से जुड़ी हो सकती है। इन ताकतों की पहचान व्यवहार्य उद्यमों के निर्माण की पहली सीढ़ी है।

संगठन- किसान, स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ, कारीगर, युवा और अन्य उत्पादक मिलकर काम करें तो अधिक हासिल कर सकते हैं। उत्पादक समूह, स्वयं सहायता समूह, सहकारी संस्थाएँ और क्लस्टर छोटे उत्पादकों को ऐसी सुविधाओं और बाज़ारों तक पहुँच दिला सकते हैं, जहाँ व्यक्तिगत रूप से पहुँचना कठिन हो सकता है।

मूल्यवर्धन- प्रसंस्करण, बेहतर डिज़ाइन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, भंडारण और ब्रांडिंग स्थानीय उत्पादों का मूल्य बढ़ा सकते हैं।

उद्यम निर्माण- किसी विचार को टिकाऊ व्यवसाय में बदलने के लिए वित्त, कौशल, तकनीक और उपयुक्त बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है।

बाज़ार तक पहुँच- अच्छे उत्पाद के लिए अच्छा बाज़ार भी ज़रूरी है। स्थानीय बाज़ार महत्वपूर्ण हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म, संगठित खुदरा बाज़ार और व्यापक बाज़ार संपर्क ग्रामीण उत्पादों को देशभर के उपभोक्ताओं और आगे भी पहुँचा सकते हैं।

सतत विकास- विकास के साथ ऊर्जा और पानी के कुशल उपयोग, अपशिष्ट में कमी, पुनर्चक्रण और प्राकृतिक संसाधनों के ज़िम्मेदार उपयोग को भी बढ़ावा देना आवश्यक है।

इन सभी चरणों को साथ लेकर चलने से स्थानीय क्षमता को स्थायी आर्थिक अवसर में बदला जा सकता है।

कृषि और उद्यम

ग्रामीण उद्यमों को मज़बूत करने का अर्थ कृषि से दूर जाना नहीं है। कई मामलों में कृषि स्वयं उद्यम विकास का आधार बन सकती है। खाद्य प्रसंस्करण इसका स्पष्ट उदाहरण है। अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियाँ, मसाले, दूध और अन्य कृषि उत्पादों का प्रभावी प्रसंस्करण और विपणन उनके आर्थिक मूल्य को बढ़ा सकता है। प्रसंस्करण से छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और विपणन जैसी गतिविधियों की माँग भी पैदा होती है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन में सहायता करती है। इसके अंतर्गत साझा बुनियादी सुविधाओं, ब्रांडिंग, विपणन और प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में सहायता दी जाती है। इसमें 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ओडीओपी) दृष्टिकोण को भी महत्व दिया गया है तथा स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी संस्थाओं जैसे समूहों को समर्थन दिया जाता है। बड़ी संभावना कृषि उत्पादन और स्थानीय उद्यम के बीच मज़बूत संबंध बनाने में है।

यदि हर कच्चे उत्पाद को प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र से बाहर भेजने के बजाय उसका अधिक मूल्य स्थानीय स्तर पर ही बढ़ाया जाए तो उत्पादकों की आय बढ़ सकती है और प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन तथा विपणन में रोज़गार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

एक ज़िला, अनेक संभावनाएँ

भारत के प्रत्येक ज़िले की अपनी विशिष्ट आर्थिक ताकतें हैं। कोई ज़िला किसी विशेष कृषि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध हो सकता है जबकि किसी अन्य ज़िले में बुनाई, मिट्टी के बर्तन, धातु शिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, बाँस उत्पाद या अन्य हस्तशिल्प की मज़बूत परम्परा हो सकती है।

ग्रामीण उद्यमों के लिए सरकारी सहयोग

डीएवाई-एनआरएलएम और एसवीईपी- महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित कर आजीविका, वित्त, कौशल और उद्यम के अवसरों से जोड़ा जाता है। एसवीईपी ग्रामीण गैर-कृषि उद्यमों के लिए सहायता प्रदान करता है।

पीएमएफएमई- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को मूल्यवर्धन, साझा बुनियादी सुविधाओं, ब्रांडिंग और विपणन आदि के लिए सहायता देता है। इसमें ओडीओपी आधारित दृष्टिकोण को भी महत्व दिया गया है।

पीएमईजीपी- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यमों तथा स्वरोज़गार को बढ़ावा देता है। आधिकारिक पीएमईजीपी पोर्टल के अनुसार, स्थापना से अब तक 41 लाख से अधिक इकाइयों को सहायता दी गई है, जिनमें 30 लाख से अधिक इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

पीएम विश्वकर्मा- पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण और बाज़ार संबंधी सहायता प्रदान करता है।

SFURTI- क्लस्टरों के माध्यम से पारम्परिक उद्योगों और कारीगरों को सहायता देकर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, बुनियादी सुविधाओं और बाज़ार अवसरों को मज़बूत करता है। वर्तमान आधिकारिक डैशबोर्ड पर 513 स्वीकृत और 376 कार्यशील क्लस्टर दर्ज हैं।

साझा दिशा:

स्थानीय संसाधन → कौशल उद्यम → मूल्यवर्धन → बाज़ार → रोज़गार

'एक ज़िला एक उत्पाद' (ओडीओपी) दृष्टिकोण ऐसी स्थानीय ताकतों की पहचान और उनके प्रोत्साहन पर ज़ोर देता है लेकिन किसी उत्पाद की पहचान करना केवल शुरुआत है। कोई उत्पाद तब प्रतिस्पर्धी बनता है जब उसमें गुणवत्ता, एकरूपता, आकर्षक डिज़ाइन, अच्छी पैकेजिंग, उचित मूल्य और विश्वसनीय बाज़ार पहुँच का मेल हो।

इसलिए उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को उनकी पहचान और उनसे जुड़े ज्ञान को बनाए रखते हुए स्थानीय बाज़ार से आगे ले जाना होना चाहिए। स्थानीय कौशल को आधुनिक उद्यम पद्धतियों से जोड़कर स्थानीय उत्पाद को राष्ट्रीय उत्पाद बनाया जा सकता है।

महिलाएँ : आजीविका से उद्यम तक

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका योगदान कृषि, पशुधन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, घरेलू उद्यमों और अनेक अन्य गतिविधियों में दिखाई देता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया है। 12 अगस्त, 2026 तक की सरकारी जानकारी के अनुसार, 10.19 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार 94.46 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़े थे।

यह नेटवर्क महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को अगले स्तर तक ले जाने के लिए मज़बूत आधार प्रदान करता है–बचत और आजीविका से आगे बढ़कर उद्यम के स्वामित्व, उत्पादन, विपणन और व्यवसाय के विस्तार तक। डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) ग्रामीण गैर-कृषि उद्यम शुरू करने और उन्हें विकसित करने के लिए ग्रामीण उद्यमियों को सहायता देता है। वर्ष 2026 में जारी सरकारी जानकारी के अनुसार, एसवीईपी के तहत 4.32 लाख से अधिक ग्रामीण उद्यमों को सहायता दी जा चुकी थी।

इन प्रयासों का महत्व केवल एक उद्यम तक सीमित नहीं है। जब महिला द्वारा संचालित कोई उद्यम आगे बढ़ता है तो वह अन्य महिलाओं के लिए काम पैदा कर सकता है, स्थानीय कच्चे माल की माँग बढ़ा सकता है और आसपास की आर्थिक गतिविधियों को मज़बूत कर सकता है।

अगला अवसर यह सुनिश्चित करना है कि ग्रामीण महिलाओं को केवल आजीविका ही नहीं बल्कि उद्यम के स्वामित्व और उसके विस्तार के लिए आत्मविश्वास, कौशल, वित्त और बाज़ार से जुड़ाव भी मिले।

युवा : अवसर से व्यवसाय तक

ग्रामीण युवाओं को बदलती अर्थव्यवस्था के अनुरूप अवसरों की आवश्यकता है। कृषि आधारित व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, मरम्मत एवं रखरखाव सेवाएँ, डिजिटल सेवाएँ, पर्यटन, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, ई-कॉमर्स और अन्य स्थानीय सेवाएँ स्वरोज़गार और उद्यम के अवसर पैदा कर सकती हैं।

'प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम' (पीएमईजीपी) इस दिशा में एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह योजना नए सूक्ष्म उद्यमों को सहायता देती है और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में रोज़गार सृजन का उद्देश्य रखती है। इसका एक उद्देश्य पारम्परिक कारीगरों तथा ग्रामीण और शहरी बेरोज़गार युवाओं के लिए स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना भी है।

संदेश स्पष्ट यह है कि वित्त महत्वपूर्ण है, लेकिन एक युवा उद्यमी को कौशल, व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन, बाज़ार की समझ और निरंतर सहयोग की भी आवश्यकता होती है।

ग्रामीण समृद्धि का विज़न

एक मज़बूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परिकल्पना

किसानः केवल कच्चा उत्पाद बेचने के बजाय प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन में भी भाग ले सकें।

महिला स्वयं सहायता समूहः केवल बचत समूह न रहकर सफल उद्यम बन सके।

युवाः स्थानीय अवसरों को व्यवसाय में बदल सके और केवल रोज़गार के लिए गाँव छोड़ना उसकी मज़बूरी न हो।

कारीगरः पारम्परिक ज्ञान को आधुनिक औजारों, डिज़ाइन और बाज़ार से जोड़ सके।

स्थानीय उत्पादः गाँव के बाज़ार से निकलकर भारत और दुनिया के उपभोक्ताओं तक पहुँच सके।

ग्रामीण उद्यमः प्राकृतिक संसाधनों का ज़िम्मेदारी से उपयोग करते हुए आगे बढ़ सके।

परिणामः स्थानीय स्तर पर अधिक मूल्य, अधिक उद्यम, अधिक रोज़गार और अधिक समृद्धि।

कौशल और उद्यमिता से युक्त गाँव अपने युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रोज़गार और अवसर पैदा कर सकता है।

कारीगर से उद्यमी तक

भारत के कारीगर पीढ़ियों से चली आ रही कला और कौशल के वाहक हैं। उनका क़ार्य आर्थिक क्षमता के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन बदलती उपभोक्ता पसंद और बाज़ारों के लिए कारीगरों को पारम्परिक ज्ञान के साथ आधुनिक डिज़ाइन, बेहतर औजार, गुणवत्ता सुधार, आकर्षक पैकेजिंग और आधुनिक विपणन को भी अपनाना होगा।

पीएम विश्वकर्मा योजना पारम्परिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, टूलकिट, ऋण सहायता और बाज़ार से संबंधित सहायता प्रदान करती है। बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि पारम्परिक कौशल अगली पीढ़ी के लिए भी आर्थिक रूप से उपयोगी और टिकाऊ बने रहें। किसी शिल्प की सबसे मज़बूत सुरक्षा तभी होती है, जब उसे करने वाला कारीगर उससे सम्मानजनक और टिकाऊ आय अर्जित कर सके।

पारम्परिक कौशल → बेहतर औजार → बेहतर उत्पाद → बेहतर बाज़ार → बेहतर आय

सहयोग से प्रगति

छोटे उद्यमों के सामने अक्सर एक समस्या होती है-कई सुविधाएँ अकेले उनके लिए महँगी या कठिन होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई कारीगर आधुनिक उपकरण, परीक्षण सुविधा, डिज़ाइन सेवाओं या पेशेवर विपणन की लागत अकेले वहन नहीं कर सकता। लेकिन एक साथ काम करने वाले उद्यम ऐसी सुविधाओं को साझा कर सकते हैं और लागत कम कर सकते हैं। यहीं क्लस्टर महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

पारम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) क्लस्टर आधारित विकास के माध्यम से पारम्परिक उद्योगों और कारीगरों को सहायता देती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वर्तमान डैशबोर्ड के अनुसार, 513 क्लस्टर स्वीकृत और 376 क्लस्टर कार्यशील हैं।

क्लस्टर समान या परस्पर पूरक उत्पादों से जुड़े उत्पादकों को एक साथ ला सकते हैं और उत्पादन, गुणवत्ता, डिज़ाइन तथा बाज़ार पहुँच को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। उद्देश्य केवल साझा सुविधा केंद्र बनाना नहीं होना चाहिए। एक सफल क्लस्टर को उत्पादकों की पूरी यात्रा में मदद करनी चाहिएः

डिज़ाइन → उत्पादन → गुणवत्ता → पैकेजिंग → ब्रांडिंग → बाज़ार

उत्पादों को बड़े बाज़ारों तक पहुँचाना

कई ग्रामीण उद्यमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्पाद बनाने के बाद शुरू होती है–इसे बेचा कहाँ और कैसे जाए?

डिजिटल तकनीक इस स्थिति को बदल रही है। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन कैटलॉग, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग छोटे उत्पादकों को अपने आसपास के बाज़ार से आगे ग्राहकों तक पहुँचने में मदद कर सकते हैं। लेकिन केवल डिजिटल पहुँच पर्याप्त नहीं है। उद्यमियों को उत्पाद की गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण, ग्राहक की अपेक्षाओं, पैकेजिंग और ऑनलाइन संचार की भी समझ होनी चाहिए। वास्तविक अवसर ग्रामीण उत्पादकों को बाज़ार से जोड़ने के साथ-साथ बाज़ार की जानकारी गाँवों तक पहुँचाने में है।

उपभोक्ता क्या चाहते हैं, कौन-से डिज़ाइन लोकप्रिय हैं, किन गुणवत्ता मानकों की अपेक्षा की जाती है और कहाँ बेहतर कीमत मिल सकती है–ऐसी जानकारी ग्रामीण उद्यमियों को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है। इस प्रकार तकनीक केवल बिक्री का माध्यम नहीं बल्कि ग्रामीण उत्पादकों और व्यापक अर्थव्यवस्था के बीच सेतु बन सकती है।

सतत भविष्य के लिए हरित उद्यम

आर्थिक अवसर और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी साथ-साथ चल सकते हैं। कृषि अवशेषों का उपयोगी उत्पादों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा छोटे उद्यमों को ऊर्जा उपलब्ध करा सकती है। बाँस, प्राकृतिक रेशे और अन्य स्थानीय

सामग्री टिकाऊ उत्पादों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। पानी और ऊर्जा का कुशल उपयोग लागत कम करने के साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी कर सकता है।

ग्रामीण उद्यमों के लिए स्थिरता केवल पर्यावरण का विषय नहीं है। यह एक आर्थिक अवसर भी बन सकती है। लक्ष्य सरल होना चाहिए- कम संसाधनों का ज़िम्मेदारी से उपयोग करते हुए अधिक मूल्य का सृजन। इससे ग्रामीण उद्यम प्रतिस्पर्धी बने रहने के साथ-साथ सतत विकास के व्यापक लक्ष्य में भी योगदान दे सकते हैं।

ग्रामीण उद्यमिता को सरकारी सहायता

भारत सरकार ने ग्रामीण आजीविका और उद्यमों को समर्थन देने के लिए अनेक अवसर और कार्यक्रम उपलब्ध कराए हैं। अब चुनौती यह है कि इन अवसरों तक पहुँच को और सरल बनाया जाए। ग्रामीण उद्यमी के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि किसी विशेष सहायता की ज़िम्मेदारी कौन-सा मंत्रालय संभालता है। उसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि उसे सही समय पर सही सहायता मिल सके।

खाद्य प्रसंस्करण उद्यम शुरू करने वाले युवा को पहले प्रशिक्षण, फिर वित्त, उसके बाद उपकरण और उत्पादन शुरू होने पर विपणन सहायता की आवश्यकता हो सकती है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को उत्पाद विकसित करने, पैकेजिंग सुधारने और खरीदार खोजने में सहायता की ज़रूरत हो सकती है। कारीगर को बेहतर टूलकिट, कौशल प्रशिक्षण, ऋण और बाज़ार तक पहुँच की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए सहायता प्रणाली को केवल अलग-अलग योजनाओं के रूप में नहीं बल्कि उद्यमी की पूरी यात्रा के रूप में देखना आवश्यक है। ज़िला और प्रखंड स्तर पर बेहतर समन्वय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

स्थानीय संस्थाओं की भूमिका

पंचायतों और अन्य स्थानीय संस्थाओं की भूमिका स्थानीय ताकतों और आर्थिक अवसरों की पहचान में महत्वपूर्ण हो सकती है। वे लोगों की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय योजना को प्रोत्साहित करने और उत्पादकों को संबंधित योजनाओं और संस्थाओं से जोड़ने में सहायता कर सकती हैं। इसका अर्थ पंचायतों द्वारा व्यवसाय चलाना नहीं है। उनकी भूमिका ऐसा वातावरण तैयार करने में हो सकती है, जिसमें स्थानीय उद्यम और आर्थिक गतिविधियाँ आगे बढ़ सकें। जब स्थानीय जानकारी को सरकारी सहायता, वित्तीय संस्थाओं, कौशल और बाज़ार संपर्क से जोड़ा जाता है तो विकास स्थानीय ज़रूरतों के अधिक अनुरूप हो सकता है।

मज़बूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर

सरकार ने किसानों, महिलाओं, कारीगरों, युवाओं और छोटे व्यवसायों को समर्थन देने के लिए अनेक रास्ते बनाए हैं। अब अवसर इन्हें अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने का है।

किसी किसान समूह को खाद्य प्रसंस्करण सहायता की आवश्यकता हो सकती है। स्वयं सहायता समूह को उद्यम के लिए वित्त और विपणन की ज़रूरत हो सकती है। कारीगरों के समूह को डिज़ाइन और तकनीक की आवश्यकता हो सकती है। युवा उद्यमी को ऋण के साथ व्यवसाय संबंधी मार्गदर्शन चाहिए हो सकता है।

साझा उद्देश्य कोई नई योजना बनाना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि मौजूदा सहायता उद्यमी तक एक जुड़ी हुई प्रक्रिया के रूप में पहुँचे। इसमें ज़िले और प्रखंड बेहतर समन्वय के महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं। इस दृष्टिकोण को पाँच सरल प्राथमिकताओं के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है:

स्थानीय ताकतों को पहचानें- उन फसलों, कौशलों, उत्पादों, संसाधनों और सेवाओं की पहचान करें जिनमें आर्थिक क्षमता है।

स्थानीय उद्यमियों को सहयोग दें- महिलाओं, युवाओं, कारीगरों, किसानों और अन्य उत्पादकों को उद्यम शुरू करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और वित्त उपलब्ध कराएं।

स्थानीय स्तर पर मूल्य बढ़ाएँ- प्रसंस्करण, बेहतर डिज़ाइन, पैकेजिंग, भंडारण और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा दें, जो स्थानीय उत्पादों का मूल्य बढ़ा सकती हैं।

बड़े बाज़ारों से जोड़ें- स्थानीय उत्पादों को स्थानीय क्षेत्र से आगे ले जाने के लिए भौतिक और डिजिटल बाज़ारों का उपयोग करें।

ज़िम्मेदारी से विकास करें- ऊर्जा और पानी के कुशल उपयोग, अपशिष्ट में कमी और टिकाऊ उत्पादन को बढ़ावा दें।

ये प्राथमिकताएँ स्थानीय क्षमताओं को आय और रोज़गार के टिकाऊ स्रोतों में बदलने में मदद कर सकती हैं।

मज़बूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मज़बूत भारत

विकसित भारत@2047 की यात्रा तब और मज़बूत होगी जब भारत के गाँव आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनेंगे। आत्मनिर्भर गाँव का अर्थ यह नहीं है कि गाँव व्यापक अर्थव्यवस्था से कट जाए। इसका अर्थ है कि गाँव अपनी ताकतों को पहचान सके, अपने कौशल को विकसित कर सके, मूल्य का सृजन कर सके, उद्यम खड़े कर सके और बाज़ारों से जुड़ सके।

जब खेत के उत्पाद का प्रसंस्करण उसके उत्पादन क्षेत्र के करीब हो, जब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह सफल उद्यम बनें, जब युवा स्थानीय अवसरों को व्यवसाय में बदलें, जब कारीगर पारम्परिक ज्ञान को आधुनिक औजारों से जोड़ें और जब ग्रामीण उत्पाद देशभर के उपभोक्ताओं तक पहुँचें, तब गाँवों की आर्थिक भूमिका बदल जाती है। वे ऐसे स्थान बनते हैं जहाँ मूल्य का सृजन होता है, उद्यम बढ़ते हैं और रोज़गार पैदा होता है। ❑